न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 05/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री लालचन्द पुत्र चतुर्भज कोम धाकड निवासी–फतेहपुर
तहसील–बारां जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

रैफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री संजय नागर, अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 08.04.2018

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी लालचन्द पुत्र चतुर्भज धाकड नि. फतेहपुर को ग्राम फतेहपुर तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई में से 1 बीघा भूमि दिनांक 06.10.1977 को नियमन की गयी थी। जो इन्तकाल नम्बर 537 दिनांक 04.11.1977 को अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हुयी है। उक्त आवंटित आराजी ख0नं0 464 सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई थी। जिसका हाल ख0नं0 848 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 849 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 रकबा 0.07 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खाते दर्ज है। उक्त आराजी की सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से दिनांक 08.04.2014 अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी द्वारा दिनांक 21.01.2015 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
जिला कलक्टर
बारां

जिला कलक्टर

3— अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि तहसीलदार, बारां को रेफरेंस पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, क्षैत्राधिकार से बहार रेफरेंस पेश किया गया है। अप्रार्थी को ख0नं0 464 की 1 बीघा भूमि वाके ग्राम फतेहपुर नियमन की गयी है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी को नियमन हुये करीबन 40 वर्षो से अधिक समय हो गया है तथा अप्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। नियमों के तहत नियमन के विरूद्व नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाहीं की जा सकती है। खातेदारी मिलने के विरूद्व रेफरेंस की कार्यवाहीं नहीं की जा सकती है। इस संबंध में 1995 डी.एन.जे. 11 पेज 592, 1999 आर.आर.डी. पेज 446, 1988 आर.आर.डी. पेज 463, 1986 आर.आर.डी. पेज 137, 1988 आर.आर.डी. पेज 463, 1995 आर.बी.जे. व 2003 आर.आर.डी. पेज 237, 2012(3) आर.एल.आर. पेज 246 जो राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय है, में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है।

इसी प्रकार उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने विधि दृष्टांत 1987 आर.आर.डी. पेज 170, 175, 177, 178, 1969 ए.आई.आर.एस.सी.पेज 1287, 1983 ए.आई.आर. सु. को 239, 2005 (1) आर. आर.टी. 161 सु.को. का निर्णय है तथा 2005 आर.आर.टी. पेज 479 राज. उच्च न्यायालय का निर्णय 2005(2) डी.एल.जे. पेज 786, 2005 डी.एन.जे. पेज 843, 2005(2) आर.आर.टी. पेज 577 एवं 1996 आर.आर.डी. पेज 170 में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे मामलों में कोई रेफरेंस नहीं किया जा सकता है। उसके विरूद्व रेफरेंस की कार्यवाहीं सर्वथा विधि विरूद्व देरी से की गयी है तथा न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत है। माननीय राज. उच्च न्यायालय ने अपने विधिक निर्णय 2011 आर.आर.डी. 571 पर बल्लभदास बनाम जिला कलेक्टर राजसंमद में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तोर पर यह माना है कि नियमन या नियमितिकरण के लिये तहसीलदार को कोई कार्यवाहीं करने का अधिकार नहीं है। आवंटन व नियमन की कार्यवाहीं में तहसीलदार स्वंय पक्षकार होता है वह स्टेट को रिप्रेजेन्ट करता है। इसलिये उसके कार्यवाहीं पेश करने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाहीं पेश की है। अतः रेफरेंस की कार्यवाहीं खारिज फरमायी जावे।

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
जिला कलक्टर
बारां

4— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर की आराजी खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई में से 1 बीघा भूमि दिनांक [illegible]7 को नियमन की गयी थी। जिस उक्त अप्रार्थी को भूमि आवंटित हु[illegible] वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी। उससे पूर्व[illegible] तलाई दर्ज थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 848 रकबा 0.04 [illegible] 849 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 रकबा 0.07 है0 बने है [illegible]र्थी के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी प्रथम दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियाँ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी को वाके ग्राम–फतेहपुर तहसील बारां में आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध भूमि ख0नं0 464 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में से कब्जे काश्त की स्थिति के देखते हुये 1 बीघा भूमि विधिवत प्रक्रियानुसार नियमन हुई थी। जो मौके पर समतल व काश्त योग्य होने पर नियमन की गयी है। अप्रार्थी उक्त आराजी पर बदस्तूर काबिज काश्त है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थी को नामा0 संख्या 537 दिनांक 04.11.1977 से खातेदारी मिल चुकी है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 40 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त नियमन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रकिया के तहत नियमन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
जिला कलक्टर
बारां

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार ख0नं0 464 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसमें से अप्रार्थी लालचंद को 1 बीघा भूमि का नियमन दिनांक 06.10.1977 को उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर खसरा नम्बर 848 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.03 है0 कुल ... रकबा 0.07 है0 किस्म नहरी माल प्रथम बने है, जो वर्तमान में ... नि. फतेहपुर के खाते दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त ... नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का नियमन नियम विरुद्ध हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने तर्क दिया है कि आवंटित आराजी उसके खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। खातेदारी में भूमि दर्ज होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस परिपेक्ष्य में अप्रार्थी अभिभाषक का कथन व विधि दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते है।

8— अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी सेटलमेंट पूर्व सम्वर्त 2015–24 में आराजी ख0नं0 464 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फतेहपुर किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी जिसमें से अप्रार्थी लालचंद पुत्र चतुर्भज धाकड नि. फतेहपुर को 1 बीघा आराजी का नियमन दिनांक 06.10.1977 को किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 848 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 रकबा 0.07 है0 किस्म नहरी माल प्रथम बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका नियमन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी लालचंद पुत्र चतुर्भज कोम धाकड नि. फतेहपुर के वर्तमान में वाके ग्राम फतेहपुर में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 रकबा 0.07 है0 किस्म नहरी माल प्रथम, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई से बना है जिसमें से अप्रार्थी को 01 बीघा भूमि का अप्रार्थी को गलत रूप से नियमन हुआ है, नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
जिला कलक्टर
बारां

10— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो खातेदार अप्रार्थी लालचंद पुत्र चतुर्भज कोम धाकड नि. फतेहपुर के खाते दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, [illegible] आराजी [illegible] नम्बर 848 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 रकबा 0.07 है0 किस्म नहरी प्रथम की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बे[illegible] हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 06.04.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)